न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 505-तीन/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 6-3-2007 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 154/2005-06 अपील

1- बिनोद कुमारी पुत्री रामशरण
2- यशोदा पुत्री रामकिशोर
दोनों ग्राम चटेह तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- राजाराम पुत्र चन्द्रपाल
2- वृजेशकुमार पुत्र शिवसागर राम
दोनों ग्राम चटेह तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री भॅवर सिंह भदौरिया)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 1-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 154/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार त्योंथर प्रभारी वृत्त गढ़ी ने प्रकरण कमांक 37 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-7-2002 से ग्राम चटैह की भूमि सर्वे कमांक 424 रकबा 2-04 एकड़ का बन्टन अनावेदक के हित में किया। तहसीलदार त्योंथर प्रभारी वृत्त गढ़ी के

आदेश दिनांक 16-7-2002 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 273 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2004 से अपील स्वीकार कर ग्राम चटैह की भूमि सर्वे कमांक 424 रकबा 2-04 एकड़ का किया गया बन्टन निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का एंव साक्ष्य का अवसर देकर विधि संगत आदेश पारित किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 154/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-2007 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी के परिवेदिरत होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार न्यायालय का मूल प्रकरण प्रकरण कमांक 37 अ-19/2001-02 भूमि बन्टन से सम्बन्धित है । भूमि बन्टन आदेश के विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगी, किन्तु द्वित्तीय अपील का प्रावधान नहीं है जबकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 28-6-2004 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने द्वित्तीय अपील सुनकर अंतिम आदेश दिनांक 6-3-2007 पारित किया है जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ जहां तक अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 28-6-2004 के परिशीलन का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-6-2004 में निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित है एंव उन्होंने इस आदेश से तहसीलदार का आदेश दिनांक 16-7-2002 निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण

तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को पक्ष रखने, लेखी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 28-6-2004 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 154/ 2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-3-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर व्दारा प्रकरण कमांक 273 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2004 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर